

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

ई-मेल-jdfbudget@gmail.com

क्रमांक/बजट (ए)/01/0581/2019-20/273

भोपाल, दिनांक 26-9-19

प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
मुरार(ग्वालियर), मैहर(सतना), अम्बार(ग्वालियर), ब्लाक फन्दा(भोपाल),
पिपरिया(होशंगाबाद), होशंगाबाद, इंदौर, बदनावर (धार) ।

विषय :-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1. श्री धर्मपाल सिंह यादव, व्याख्याता शा.उ.मा.वि. शिन्दे की छावनी, ग्वालियर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मुरार डी.डी. ओ. कोड- 1402003026	RS.11,530=00
2202 02 सामान्य शिक्षा	2. श्री प्रहलाद प्रसाद प्रजापति, प्राचार्य, शा.उ.मा. वि. अमदरा, जिला सतना,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मैहर, जिला सतना- 3422003090	RS.41,515=00
109 माध्यमिक शिक्षा	3. श्री महेन्द्र सिंह भदौरिया व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. जग्गा का पुरा, जिला मुरैना।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बार 2512003018	RS.3,43,876=00
0581 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	4. श्रीमती रश्मि राबरा, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि.क जहांगीराबाद भोपाल,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्लाक फन्दा भोपाल- 0502003006	RS.80,277=00
11 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	5. श्री शिवेन्द्र कुमार जैवार, सहा.वर्ग 3 जि.शि.अधि. होशंगाबाद,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिपरिया - 1642003011	RS.81,551=00
8888 वेतन, भत्ते	6. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, भृत्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. होशंगाबाद,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, होशंगाबाद - 1602003003	RS.72,680=00
V -	7. श्री महेश गांधी, प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. कनाडिया इंदौर, जि.शि.अधि. इंदौर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, इंदौर.- 1712003043	RS.97,000=00
009 मतदेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8. श्री शोभाराम वास्केल सहायक शिक्षक संकुल प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. काछीबडोदा जिला धार	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बदनावर जिला धार डी.डी.ओ.कोड क्र.- 1112003002	RS.97,000=00
कुल राशि-आठ लाख पच्चीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र			RS.8,25,429=00


निरंतर-2-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
5. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 26-3-19

पृष्ठा. क्रमांक/बजट(ए)/01/0581/2019-20/274
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - ग्वालियर, सतना, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, धार म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - ग्वालियर, सतना, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, धार म.प्र.।
4. उप संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारीगण सरल क्रमांक 1 से 8 तक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.